न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2018

विकमनाथ पुजक चेला स्व0 शुभनाथ निवासी चक 2 एमएल (नाथावाली) तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

1. धर्मनाथ चेला स्व0 शुभनाथ निवासी चक 2 एम.एल.(नाथावाला) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2018

उपस्थिति—

श्री विरेन्द्र सिहाग अभिभाषक अपीलांट

श्री मोहनलाल छाबडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 22/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी विकमनाथ ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,92ए, 188 आर.टी. एक्ट के तहत पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 नाथ संप्रदाय के अनुयायी है। वर्ष 2000 में ही वादी को स्व0 शुभनाथ द्वारा अपना चेला बना लिया और नाथ संप्रदाय की प्रथाओं की पालना करते हुए विधिवत रूप से स्व0 शुभनाथ के द्वारा वादी को अपना चेला स्वीकार किया गया और उसके पश्चात वादी से ही अपने गुरू के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है तथा अपने गुरू के साथ ही उक्त वर्णित पते पर निवास करता रहा हूँ।

(A) स्व0 शुभनाथ के नाम से राजस्व रिकार्ड में चक 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 120/99 का मु.नं. 7 का कि.नं. 21 ता 23, मु.नं. 11 का कि.नं. 1 ता 18, मुरब्बा नं. 13 का कि.नं. 1 ता 25 की कुल 46 बीघा अर्थात 11.638 है0 कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम अंकित है। शुभनाथ की मृत्यु दिनांक 24.02.2018 को होनेके

पश्चात वादी और प्रतिवादी सं. 1 के मध्य वाद पत्र में वर्णित आराजी जिसका मौखिक रूप से बंटवारे का विवरण किया गया है अभी तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिए वादी व प्रतिवादी सं. 1 इस आराजी के सहभागीदार है। अतः निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी उपमद 'क' से 'घ' अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(B) प्रतिवादी सं. 1 ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151सीपीसी के प्रा0पत्र का निस्तारण महज वाद पत्र के अभिवचनों से ही किया जाना है इस हेतु जबाबदावा अथवा किसी भी प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद विधि से बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के अधीन इसी स्तर पर बिना आयन्दा विचारण निरस्त फरमाया जावे।

(C) उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने उभयपक्ष की बहस सुनकर आदेश दिनांक 19.04.2018 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी विधि से बाधित होने एवं दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के फलस्वरूप इसी आधार पर बिना आयन्दा विचारण निरस्त कर दिया।

2. उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

(a) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधी. न्यायालय ने दावा सिविल प्रकिया संहिता के आ0 7 नि0 11 का प्रा.पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया है, में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चेले होने की घोषणा करवाना आज्ञापक माना गया है जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से दावा खारिज किया जो विधि की नियमानुसार गलत व्याख्या है। आ0 7 नि0 11 के प्रा0पत्र का निर्णय वाद पत्र के अभिवचनों से होता है। संलग्न दस्तावेज नहीं पढे जा सकते है। अपील को भी पढा जावे। विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों अनुसार खातेदारी भूमि की घोषणा का दावा सभी कोर्नर से राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुना जाकर विनिश्चय किया

जावेगा। चेले की घोषणा सिविल न्यायालय में करवाने की आड में दावा गलत ढंग से खारिज किया है। अतः अपील स्वीकार फरमा दावा तनकीवार कायम मुकाम साक्ष्य संग्रहित कर गुण अवगुण के आधार पर निर्णय हेतु रिमाण्ड करने का आदेश फरमावे। विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दियाः–

(1) आर.एल.डब्ल्यू. 1955 पेज 113 संग्राम सिंह बनाम रामनारायण

(2) आर.एल.डब्लयू. 1955(आर.एस)110 जाटदान बनाम बक्सों,

(3) आर.बी.जे. 2007 पेज 207 बूटीराम बनाम ज्ञानाराम

(4) आर.एल.डब्लयू 2009 आर.जे. 707

(5) आर.एल.डी. 1955 पेज 206 रामनारायण बनाम विधाप्रसाद

(6) ए.आई.आर. 1929 All 613 मूला बनाम भूरिया

(7) आर.एल.डब्लयू. 1969 पेज 147 मोहरसिंह बनाम वजीरचन्द

(8) ए.आई.आर. 1971 राज. 1964 मोहनलाल बनाम रतन

(9) आर.आर.डी. 1974 पेज 191 प्रेमी बनाम इन्द्र

(10) 2017(1) डीएनजे (राज.) पेज 351

(b) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा वाद आ0 7 नि0 11 जाब्ता दिवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किया है कि वादी/अपीलांट मृतक बाबा शुमनाथ का चेला है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय से उत्तराधिकारिता की घोषणा करवाये बिना राजस्व न्यायालय में वाद नाकाबिल चलने के है। उक्त वाद के निरस्त होने के उपरांत स्वयं वादी/अपीलांअ ने इस कानूनी तथ्य को स्वीकार करते हुए माननीय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष एक याचिका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने प्रस्तुत कर दी है जिसमें पारित स्थगन आदेश की प्रति स्वयं अपीलांट/वादी के द्वारा आ0 41 नि0 27 सीपीसी प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में जब वादी/अपीलांट स्वयं उक्त कानूनी बिन्दु को स्वीकार कर दीवानी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर चुका है तो बिना उक्त घोषणा हुए कि आया वादी/अपीलांट स्व0 बाबा शुमनाथ का

राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर

चेला/उत्तराधिकारी है अथवा नहीं, राजस्व न्यायालय को विभाजन अथवा घोषणा का वाद सुनने की अधिकारिता नहीं है एवं अधी.न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश से निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने के फलस्वरूप मौजूदा अपील इसी स्तर पर सव्यय निरस्त फरमायी जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी लिखित बहस में निम्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया:-

(1) 2007(1) RRT (Raj.High Court) 723
(2) 1977 RRD (Raj. High Court) 637
(3) 2018(1)RRT(Raj. High Court)534
(4) 2013(1) Civil Court Cases (Supreme Court) 075
(5) 2015(2) Civil Cases (Delhi) (DB) 061
(6) 2008(3) DNJ(Raj.High Court) 1343
(7) AIR 2010 Patna High Court 189
(8) 2017(1) DNJ (Raj. High Court) 1

3. हमने उभयपक्षों की लिखित बहस व नजीरों एवं अधी. न्यायालय के निर्णय का गहनता से मनन किया। सारत निम्न तथ्य रेखांकित करना समाचीन:-

(i) अधी. न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में वाद पत्र की आ0 7 नि0 11 के तहत वाद पत्र क्षेत्राधिकार के आधार पर निरस्त किया गया है।

(ii) यह सही है माननीय विभिन्न उच्च न्यायालयों का स्पष्ट मत है कि

Sec. 9CPC:- The jurisdiction suit for decleration & permanent injunction . The Question of heirship. Only Civil Court is competent to declare the question of heirship.

(iii) इस मामले में यद्यपि विवाद राजस्व भूमि के हक, विभाजन व घोषणा का है किन्तु यह मुख्यतः मृतक के "चेला" अर्थात 'गुरूचेला' सम्बन्ध (हैसियत) की घोषणा से सम्बन्धित है। यह प्रश्न निश्चय ही सिविल प्रकृति का है तथा क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

(iv) गुरूचेला रक्त सम्बन्ध से उत्पन्न सामान्य उत्तराधिकार नहीं है वरन् एक संस्थागत, विधिक व्यक्ति का सृजन है जो कतिपय शर्तों, परम्पराओं, निष्ठाओं व नियम पालन व मान्यता से जुड़ा पद है। इस सम्बन्ध के तहत किसी अधिकार की घोषणा से पूर्व उस सम्बन्ध की घोषणा आवश्यक है जो सिविल न्यायालय के एकमेव क्षेत्राधिकार की विषयवस्तु है।

(v) यह तथ्य रेखांकित करना आवश्यक है कि स्वयं अपीलांट विकमनाथ द्वारा स्वयं के चेला होने की घोषणा के आशय का प्रार्थना पत्र माननीय जिला न्यायालय में उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विविध दीवानी सं. 56/2018 दिनांक 28.05.18 को दायर किया जो वाद आ0 7 नि0 11 में अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2018 को खारिज करने के बाद किया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी भी अपना प्रतिवाद में आ0 7 नि0 11 सीपीसी का प्रा.पत्र 'चेला' हैसियत से ही लेकर प्रस्तुत हुआ है जबकि दोनों 'चेला' होने के आधार पर टीनेन्सी (राजस्व भूमि) पर अपने हक का दावा कर रहे है।

(vi) यहां स्पष्ट है कि दोनों के बीच मुख्य विवाद तो राजस्व भूमि पर हक , चल सम्पत्तियां/बंटवारे का है। किन्तु यह विवाद उनके 'चेला' हाने के आधार पर लाया गया जिसके बारे में दोनों को घोषणा सिविल न्यायालय से ही करानी होगी। इस सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थी की इस्तदुआ पर अपीलांट व रेस्पों. को अपने स्थगन आदेश द्वारा दिनांक 05.06.2018 पाबन्द कर रखा है।

(vii) इस मामले में साधारण रक्त सम्बन्ध से सम्बन्धित उत्तराधिकार का प्रश्न नहीं वरन् गुरू चेला हैसियत की घोषणा पश्चात व उस आधार पर राजस्व न्यायालय में टीनेन्सी भूमि के हक /बंटवारे का वाद था जिसमें तथ्य व विधि के दोनों मिश्रित प्रश्न अर्न्तवलित थे। ऐसे में जहां 'चेला' हैसियत के लिए परम्पराओं , नियमों व आचरण, अनुष्ठान के विषय जांच के है और तत्पश्चात ही घोषणा हो सकती है यह तथ्यों की जांच का विषय है। किन्तु इस कारण आ0 7 नि0 11 सीपीसी में विाद खारिज किया वे सुस्पष्ट है। जैसे मुख्यतः cause of action, है व अन्य आधार तकनिकी है, के कारण अप्रार्थी का जबाब लिये बिना क्षेत्राधिकार के प्रश्न का निर्धारण करते हुए वाद अधी. न्यायालय ने खारिज कर दिया त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि इससे मूल विषयवस्तु जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है वह अनुत्तरित रह जाता है।

(viii) अतः आ0 7 नि0 11 सीपीसी का जहां तक सवाल है वहां केवल Plaint की विषयवस्तु ही देखी जाती है। यह सही है और इस आधार पर वाद लौटाया जाता है या खारिज किया जाता है तो Resjudicata लागू नही होता क्योंकि cause of action तो विद्यमान रहता ही है।

(ix) लेकिन प्रस्तुत मामले में वाद मुख्यतः क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर खारिज किया है। ऐसे में अधी. न्यायालय को प्राथमिक विवाद्यक का Preliminary issue frame कर के निर्णय करना चाहिए था। इस मामले में विधिक तथ्य के प्रश्न के साथ–साथ मिश्रित प्रश्न अर्न्तवलित थे। हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017(1) डीएनजे(राज.) पेज 351 से सहमत है।

(x) इसी प्रकार :–

2018(2) Civil Court Cases page 844 Supreme Court.

Civil Procedure Code 1908 O. 7 R. 11

Rejection of Plaint:- it is only the plaint and not projected defence in written statement, Which is to be looked in to decide application for rejection of point.

It is also highlighted that

(xi) Trial Court may after framing the issue, take up the issue which pertain to juricdiction of suit and decide the in it or in the first instance.

(xii) O. 7 R. 11 of the CPC has limited application. It must be shown that the suit is barred under any law, like any averments made in the plaint.

(xiii) The defferent issue shared not be mixed, as in this case the averment of plaint and jurisdiction has been mixed to decide the application of O. 7 R. 11 by the learned lower court, Can only decide the legality or illegality of mutation entry. That is also an mixed nature of question's that be decided by different courts:-

(I) Jurisdiction – Sec 9 CPC

(II) Legality of mutation, Cause of acton is to be decided by revenue Court.

(xiv) In such case, the main controvercy involve in the plaint is gurr-chela relation on the basis of the relief demanded by revenue court. It is therefore the learned subordinate court should not decide the matter under O. 7 R. 11 application without asking to file/ or allowed appealant to file reply. That is also the question of jurisdiction of court that should be decided after taking reply and framing primiary issue and decide the matter afterward.

(xv) Hence, The case file by plaintiff in lower court was not barred by law, as it were purport to have been saught relief u/s 88, 92A and 188 RTA before the revenue Court, however his relief were base upon the decision of hairship that has to ce decided by Civil Court only.

(xvi) Following, above observation that appeale deserve to accepted and remand to lower court for decision in the matter afresh, after framing Premilinary issue regard to jurisdiction. But, there is an another new facts came in to the notice of this court, that the both parties, 'hairship' related matter pending before Honourable Civil Court, Hence , the lower court also directed to proceed to hearing the matter after the decision of Civil Court, accordingly , till then the proceeding of lower court would be stayed.

निर्णय आज दिनांक 22/2/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर